प्राक्कथन

कोषागार, राज्य सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के मामले में, सामान्य रूप में और सरकारी लेन–देन के लेखांकन के विशिष्ट क्षेत्र में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोषागार, निकासी/संवितरण अधिकारी एवं वित्त विभाग के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है। कोषागार मासिक लेखों की तैयारी एवं शुद्धता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है साथ ही साथ लेखा एवं लेन–देन से सम्बन्धित मानक और नियम के अनुसार वित्तीय लेन–देन को सुनिश्चित करना आवश्यक है। कोषागार/उपकोषागार के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार ने संहितायें, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियायें निर्धारित की है। कोषागारों/उपकोषागारों की ओर से इन नियमों और प्रक्रियाओं से किसी भी प्रकार का विचलन प्रतिकूल वित्तीय प्रबन्धन और जवाबदेही की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के मैनुअल स्थायी आदेश (लेखा एंव हकदारी) खण्ड-1 के पैरा 20.17 और दिये गये प्रारूप/दिशानिर्देशों के अनुसार मेरे कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड का 2016 का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन संकलित किया है तथा मैं यह आशा करता हूँ कि यह समीक्षा रिपोर्ट कोषागारों एवं उपकोषागारों में अनियमितताओं एवं कमियों को दूर करने में एवं राज्य सरकार के वित्तीय प्रबन्धन में कोषागार को एक स्वच्छ इकाई स्थापित करने में सहायक होगा।

Sd/-

(अशोक सिन्हा)

देहरादून
दिनांकः

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्य अंश

1	कोषागार अतंरापृष्ठीय (Treasury Interface) के माध्यम से प्राप्त लेखों में कमियाँ एवं विसंगतियाँ	(पैरा 2.1)
2	आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्राप्ति और भुगतान के आंकडों का मिलान- Non Reconciliation	(पैरा 2.3)
3	₹ 8.05 करोड़ के असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (AC) विपत्र का अस्तित्व	(पैरा 2.4)
4	कोषागारों से ₹ 19.82 लाख के वांछित (wanted) वाउचर्स	(पैरा 2.5)
5	₹ 219.56 करोड के अव्ययित (unspent) पी0एल0ए0 राशि का शासकीय खातों में अभ्यर्पण नहीं करना	(पैरा 2.9)
6	नई पेंशन योजना (NPS-2005) के अर्न्तगत Employers contribution के रूप में जमा किये गये अंशदान के गलत लेखा शीर्ष में debit करने के सम्बन्ध में।	(पैरा 3.3.1)
7	TR-24 से आहरित वर्ष 2014-15 की राशि ₹11,95,21,645/- का समायोजन न किया जाना	(पैरा 3.3.2)
8	नकद साख सीमा (सी0सी0एल0) वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष नकद साख सीमा (सी0सी0एल0) धनराशि रू0 82.94 लाख को अगले वित्तीय वर्ष के लिए व्यवर्तित करना।	(पैरा 3.3.3)
9	कोषागारों द्वारा बैंको को साख सीमा एवं जमा साख सीमा का विलम्ब से सूचित करना।	(पैरा 3.3.4)
10	पी0एल0ए0 खातो से ₹ 15.59 करोड़ की अनियन्त्रित धन की निकासी	(पैरा 3.3.5)
11	सी0टी0एस0 प्रणाली के सॉफ्टवेयर की कमी के कारण पी0एल0ए0 खातों में ऋणात्मक अवशेष प्रदर्शित होना।	(पैरा 3.3.6)
12	रूपये 57,50,576/– धनराशि का दोहरा भुगतान।	(पैरा 3.3.10)
13	उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त शेक्षणिक सत्र के अन्त तक संत्राश लाभ दिए जाने के सम्बन्ध में ।	(पैरा 3.3.11)
14	स्त्रोत पर आयकर ₹33.82 लाख की कटौती का न किया जाना	(पैरा 3.4.6)

कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
वर्ष **2016-17**

"भाग-1 : प्रस्तावना"

1.0 उत्तराखण्ड कोषागार नियमावली 2003 के भाग-4(2) के अनुसार **उत्तराखण्ड राज्य के समस्त कोषागार/उपकोषागार, निदेशक कोषागार** उत्तराखण्ड के नियंत्रण में हैं। मण्डल/जिला स्तर पर कोषागार/उपकोषागारों पर क्रमशः आयुक्त/जिलाधिकारी का प्रशासकीय नियंत्रण है। कोषागारों की स्थापना शासकीय राजस्व की प्राप्ति एंव भुगतान पर नियंत्रण रखने के उदद्श्ये से की गयी है।

प्रत्येक कोषागार, कोषाधिकारी एवं उपकोषागार, उपकोषाधिकारी के प्रभार में रहते है। सभी कोषागार अपने तथा अधीनस्थ उपकोषागारों के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हक0), उत्तराखण्ड को प्रेषित करते है।

1.1 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 384/XXVII(6)/2011 दिनांक 17.10.2011 द्वारा राज्य में कोषागारों के अधीन स्थापित उपकोषागारों को कम्प्यूटीकृत एवं आनलाईन करते हुये 70 उपकोषागारों में कोषागार की भांति स्वतन्त्र रूप से बिल पारण, पेंशन भुगतान एवं अन्य सरकारी लेन–देन का कार्य करने हेतु वर्ष 2012-13 से प्राधिकृत किया गया। उपकोषाधिकारी अपने उपकोषागार के लिये आहरण वितरण अधिकारी है तथा उपकोषागार में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्णतः सदर कोषागार के प्रशासनिक नियन्त्रण में है।

1.2 संरचना/संगठन

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2016-17 में कुल 18 कोषागार एवं 71 उपकोषागार हैं। सभी कोषागार/उपकोषागार बैंकिग के रूप में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त एक निदेशक कोषागार, एक साईबर ट्रेजरी देहरादून में एवं भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड (P.A.O.) नई दिल्ली में कार्यरत है।

(परिशिष्ट-01)

1.3 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 संख्या 39/XXVII(6) 2013 दिनांक 18.01.2013 द्वारा राज्य के समस्त उपकोषागरों में स्थापित डबल लॉक तथा सिंगल लॉक कक्ष की व्यवस्था को 2013-14 से समाप्त कर दिया गया था। यहाँ स्थापित डबल लॉक/सिंगल लॉक/गारद रूम को सामान्य कक्षों के रूप में उपयोग में लाया जायेगा।

ऐसे उपकोषागारों में स्टाम्प एवं नकदी के भण्डारण एवं रख–रखाव हेतु बैंको में प्रयोग की जाने वाले दो चाबी वाले सेफ के माध्यम से किया जाना निर्धारित है।

ऐसे उपकोषागारों में स्थापित सेफ में रक्षित स्टाम्प, नकदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोरी डकैती अथवा अन्य किसी कारण से नुकसान की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनियों से इसका बीमा कराया जायेगा। ऐसे समस्त उपकोषागारों में डबल लॉक कक्ष एवं सिंगल लॉक कक्ष की सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस गारद को पुलिस विभाग को वापस किया जायेगा।

ऐसे उपकोषागारों के डबल लॉक में विभिन्न विभागों के रखे गये सील्ड पैकेट तथा डुबलीकेट चाबी इत्यादि को निकटवर्ती कोषागार अथवा सदर कोषागार के डबल लॉक में हस्तान्तरित किया जायेगा।

1.3.1 राज्य के कोषागारों/उपकोषागारों में से 21 कोषागारों, 30 उपकोषागारों का निरीक्षण वर्ष 2016-17 में किया गया।

1.3.2 कोषागार एवं उपकोषागार कार्यालयों में स्वीकृत कार्यबल से काफी कम संख्या में कर्मचारी कार्यरत है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। कोषागारों में लगभग 27.14 प्रतिशत पद रिक्त हैं। कोषागारों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पिछले तीन वर्षो की स्थिति निम्न प्रकार है–

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	रिक्त पदों की प्रतिशत
2014-	888	555	333	37.50

15				
2015-16	888	561	327	36.82
2016-17	925	674	251	27.14

निदेशालय कोषागार की सूचना अनुसार वर्ग 'ग' को छोडकर अधिकांश कर्मचारी एवं अधिकारी कम्प्यूटर कार्य में कौशल प्राप्त है। जनपद कोषागारों एवं उपकोषागारों में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रशिक्षण सम्बन्धित पिछले तीन वर्षों के आँकड़े निम्नवार हैः–

वर्ष	**कार्यरत**	**प्रशिक्षित**	**प्रशिक्षण का प्रतिशत की दर**
2014-15	555	473	85.23
2015-16	561	479	85.38
2016-17	674	603	89.47

"भाग-2: लेखा विसंगतियाँ"

2.0 लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पायी गयी कमियाँ/विसंगतियाँ

2.1 राज्य में कोषागार अतंरापृष्ठीय (Treasury Interface) की प्रणाली का सृजन एवं कार्यान्वयन निम्न उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था।

- मैनुअल डाटा प्रविष्टि की जगह प्रत्यक्ष इलैक्ट्रोनिक डाटा हस्तान्तरण और अपलोड करना।
- वित्त एवं विनियोग लेखों को गुणात्मक एवं समयोचित ढंग से तैयार करना।
- High Risk Items पर निगरानी जैसे कि शून्य भुगतान वाउचर (NIL payment voucher), अनुदान सहायता और आकस्मिक बिलों की पुनः प्राप्ति।

Treasury Interface से प्राप्त लेखों में निम्न कमियाँ/विसंगतियाँ पायी गयी :-

2.1.1 Header और Detail में अन्तर--ई–कोश, ई–मेल और कोषागारों से सीडी या पैन ड्राईव से प्राप्त हो रहे डाटा में हेडर और डिटेल में वाउचरों की संख्या समान न होने के कारण इन्टरफेस में डाटा नहीं खुल पाता है। ई–कोष के डाटा से हैडर और डिटेल में वाउचर संख्या क्रमशः प्राप्त नही होती है।

2.1.2 मुख्य लेखाशीर्ष 8000 राज्य आकस्मिकता निधि और 7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज का सहायक शीर्ष (कनेक्टिग हेड) HO2 इन्टरफेस से नहीं खुलता है। इन लेखाशीर्षों की डाटा फीडिंग अभी भी मैनुअल (हाथ से) करनी पड़ती है।

2.1.3 LOP और Cash Accounts मैनुअली फीड करना पड़ता है जिनका पूर्ण विवरण ई–डाटा से प्राप्त होना वांछित है।

2.1.4 वाउचर स्क्रीन में वाउचर टाईप ऑबजेक्ट हैड कोई डाटा से सही प्राप्त नही हो रहे है, जिन्हे ओब्जेक्ट हैड के अनुरूप बदल दिया जाता है।

2.1.5 वाउचर स्क्रीन में वाउचर टाईप ए0सी0 के लिये वाउचर Additional Details में एन्ट्री मैनुअली करनी पड़ती है जो ई–डाटा से प्राप्त होनी चाहिये, साथ ही वाउचर की Hard Copy पर लाल स्याही से A.C. या D.C. Bill लिखा होना चाहिए।

2.1.6 हैडर और डिटेल में वाउचर की संख्या समान होनी चाहिये जो अधिकांश कोषागारों को ई–डाटा में प्राप्त नही होती हैं। ई– डाटा के डिटेल हेड में उपकोषागार अंकित रहती है जो नही होनी चाहिये, जिसको हटाना पड़ता है।

2.1.7 ई–डाटा के डिटेल हैड में ही वाउचर संख्या की पंक्ति के अन्त में अंकित कोलन (:) के पश्चात् एक स्पेस रहता है जो अनावश्यक है, जिसको हटाना पड़ता है।

2.1.8 हैडर फाइल और डिटेल फाईल दोनों को मिलाकर एक नई फाइल बनानी पड़ती है, क्योंकि यह डाटा हैडर और डिटेल दो फाईलों में अलग–अलग प्राप्त होती है।

2.1.9 वाउचर्स स्क्रीन में वाउचर टाईप डी0सी के लिये भी वाउचर एडिशनल डिटेल में एन्ट्री मैनुअली करनी पड़ती है, जो ई–डाटा से प्राप्त होनी चाहिए।

2.1.10 चालान द्वारा कोषागारों में प्रेषित की गई धनराशि का विवरण साफ्ट कापी में कार्यालय को प्रेषित किया जाये।

2.1.11 कुछ अभिदाता जो चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नत हो गये हैं, उनके तृतीय श्रेणी के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या का उल्लेख न करके चतुर्थ श्रेणी लेखा संख्या का उल्लेख हो रहा है। कोषागारों से प्राप्त वाउचर में अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि संख्या कभी कभी गलत होती है अथवा अपठनीय होती है। अभिदाता जो चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नत हो गये हैं, का बैलेंस ट्रांसफर की राशि इन्टरफेस में नही आ रही है।

2.1.12 सभी कोषागारों के डेबिट वाउचर एवं चालान का इन्टरफेस नही हुआ है, तथा कोषागारों द्वारा अपलोड किये डाटा में गलतियां होती है।

2.1.13 वाउचर रिकार्ड संख्या दोनों हेडर और आवश्यक ई–डेटा का विवरण, सीरियल क्रम में होना चाहिए। कभी–कभी डुप्लिकेट रिकार्ड विवरण सूची में पाए जाते हैं, पेंशन और लोन के ई–डाटा और डिटेलड फिजिकल वाउचर प्राप्त नही हो पा रहें है।

उल्लेखनीय है कि उक्त मुख्य लेखाशीर्षों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मूल बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा सम्बन्धित कोषागार द्वारा इंगित मदों में बिल पारित किये गये है, जो बिल पारण की वित्तीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। बिल पारित करते समय कोषाधिकारियों द्वारा बिल पारण के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए तथा समय–समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों और शासनादेशों की अनुपालना होनी चाहिए। ऐसी धनराशि उच्चन्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत/अनावश्यक असमायोजित पडी रहती है तथा लेखाओं पर विपरीत प्रभाव पडता है।

वर्ष 2016-17 के लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान कोषागार अतंरापृष्ठीय से सम्बन्धित निम्न कमियाँ/विसंगतियाँ प्रकाश में आयी हैं जिनका सुधार यदि इस कार्यालय द्वारा मैनुअली नहीं किया जाता तो ऐसी कमियों का निश्चित रूप से लेखों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता।

2.2 सहायक अनुदान एवं त्रैमासिक आय–व्यय से सम्बन्धित कमियाँ एवं विसंगतियाँ

- सहायक अनुदान के वाउचर की भी अलग से कोई पहचान नही होती है, एवं उनमें योजनागत/आयोजनागत मदों का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं होता है। जिससे की उनकी पहचान कर सही लेखांकन के साथ उचित रख–रखाव हो सके।
- किसी माह में समान धनराशि के एक से अधिक वाउचरों द्वारा धनराशि का आहरण दर्शाया जाता है तथा बाद में बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई एक वाउचर द्वारा ही विभाग द्वारा व्यय है।
- कोषागार द्वारा मानक मद 51 (महंगाई वेतन) में वाउचर आहरित किये जाते हैं जबकि बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा यह सूचना प्रेषित की जाती है कि सम्बन्धित मानक मद वर्तमान में बन्द है।
- विभिन्न कोषागारों द्वारा वर्ष 2016-17 के मासिक लेखों में गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को लेखा संशोधन द्वारा सुधारा गया। यदि उक्त त्रुटियों (Misclassification) को सुधारा नहीं जाता तो उसका लेखों की शुद्धता पर अवश्य प्रतिकूल प्रभाव पडता। लेखा संशोधन का विवरण **परिशिष्ट-02** में दर्शाया गया है।

2.3 आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्राप्ति और भुगतान के आंकडों का मिलान

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अपने विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतान के आँकड़ों का मिलान महालेखाकार एवं कोषागार के आंकड़ों के साथ नियमतः करना निर्धारित है। वर्ष 2016-17 के लेखा संकलन की प्रकिया एवं कोषागारों के निरीक्षण में यह पाया गया कि कुछ आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अपने विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जा रहा है। अधिकांश आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा या तो मिलान ही नहीं कराया गया या तो मिलान आंशिक रूप से कराया गया।

उत्तराखण्ड शासन के अधीन कार्यरत समस्त बजट नियन्त्रण अधिकारियों विभागाध्यक्षों के वित्तीय वर्ष 2016–17 में मिलान आख्या निम्नानुसार हैः

	प्रथम त्रैमास		द्वितीय त्रैमास		तृतीय त्रैमास		चतुर्थ त्रैमास	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
पूर्ण मिलान	06	31	12	24	16	28	8	32
आंशिक मिलान	09	13	04	16	01	20	4	18
मिलान नहीं कराया	33	18	32	22	31	14	36	12
कुल	48	62	48	62	48	62	48	62
मिलान आख्या (% में)	31	71	33	65	35	77	25	80.64

- वित्तीय वर्ष 2016-17 मे चतुर्थ त्रैमास तक मिलान नही कराने वाले बजट नियंत्रण अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट-03** में दर्शायी गयी है।

2.4 8.05 करोड़ के असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (AC) विपत्र का अस्तित्व

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से अदृष्य व्यय हेतु सेवा शीर्ष से राशि की निकासी के लिये प्राधिकृत हैं एवं ऐसे समग्र मामले में विस्तृत आकस्मिक विपत्र, व्यय के सब वाउचरों सहित आकस्मिक विपत्र की निकासी के एक माह के भीतर महालेखाकार कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। **मई 2017 तक के ₹ 8.05 करोड़** के डी0सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय को अप्राप्त थे। विलम्बित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का प्रेषण, आकस्मिक विपत्रों के द्वारा किये गये व्यय को अपारदर्शी बनाता है। विस्तृत विवरण नीचे दिये गए

(राशि करोड़ में)

वर्ष	आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी		विस्तृत आकस्मिक विपत्र की प्रस्तुति		बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2014-15	1538	116.56	1532	116.214	06	0.350

2015-16	28	1.048	25	1.039	03	0.009
2016-17	171	9.905	57	2.209	114	7.696
कुल	**1737**	**127.513**	**1614**	**119.462**	**123**	**8.055**

2.5 कोषागारों से ₹ 19.82 लाख **के वांछित (wanted) वाउचर्स**

मार्च, 2017 के अन्त तक ₹ 19.82 लाख़ के वाउचर्स (वर्ष 2013-14 से 2016-17 की अवधि तक) कोषागारों से मासिक लेखों के साथ प्राप्त नहीं हुए जिसके कारण उक्त राशि आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखाशीर्ष के व्यय पक्ष में असमायोजित पड़ी रही। शासन एवं निदेशक कोषागार का सम्बन्धित कोषागारों को वाउचर्स अथवा भुगतान का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत करने हेतु लिखा गया है। कोषागारों को बार–बार लिखने के उपरान्त भी इन धनराशियों के डुप्लीकेट वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराये गये।

(परिशिष्ट-04)

2.6 सहकारिता के लिए ऋण के अन्तर्गत वसूली अनुसूचियों को मासिक लेखा के साथ प्रेषित नही करना।

संस्थागत ऋण से सम्बन्धित मुख्य लेखाशीर्ष 6425 सहकारिता के लिए कर्ज, के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों के सापेक्ष मूलधन कोषागारों द्वारा मासिक लेखे के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किए जाते हैं।

परन्तु कुछ कोषागारों द्वारा वापसी अनुसूचियों के साथ चालान की प्रतिलिपि प्रेषित नही की जा रही है, जिससे उक्त लेखों को VLC Module में लेंखाकन तथा पुस्तांकन करना सम्भव नही हो पाता। उक्त चालानों की प्राप्त करने हेतु पत्राचार करना पड़ता है जिससे कार्यालय की कार्यक्षमता प्रभावित होती हैं।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्य लेखाशीर्ष 6425 के अतंर्गत चालान प्रेषित न करने वाले कोषागारों का विवरण परिशिष्ट.05 में उल्लेखित हैं।

2.7 कोषागार से मासिक लेखा प्राप्ति में विलम्ब

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा राज्य सरकार को समय पर मासिक लेखों (MCA) को प्रस्तुत करना कोषागारों द्वारा मासिक लेखों को समय पर प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। उसी प्रकार समस्त कोषागारों का मासिक लेखा कार्यालय महालेखाकार में समय से प्रेषित करने का उत्तरदायित्व समस्त कोषाधिकारियों का है। लेखे की प्रथम सूची उसी माह की 13 से 17 तारीख तक तथा द्वितीय सूची अगले माह की 5 से 8 तारिख तक महालेखाकार (लेखा एवं हक0) को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2016-17 में कुल 240 (20 कोषागार X 12 मास) मासिक लेखों को प्राप्त करके लेखांकन किया गया। वर्ष 2016-17 में कोषागारों द्वारा **01** से **66** दिन तक के विलम्ब से मासिक लेखे भेजे गये। विलम्ब का मुख्य कारण उत्तराखण्ड राज्य में कोषागार कर्मचारियों द्वारा 45 दिनों का राज्य व्यापक हड़ताल रहा हैं।

(कोषागारों से लेखे देर से प्राप्त होने पर निर्धारित समय अवधि में लेखों का संकलन नहीं हो पाता है जिसके फलस्वरूप शासन को मासिक लेखे प्रेषित करने में विलम्ब होता है।)

(परिशिष्ट-06)

2.8 आर0बी0डी0 विवरण एवं वी0डी0एम0एस0 में भिन्नताएँ **भारतीय रिर्जव बैंक**, कानपुर द्वारा प्राप्त मासिक विवरण में एजेंसी बैंको की धनराशियों एवं कोषागारों द्वारा प्राप्त एजेंसी बैंको की वी0डी0एम0एस0 में दर्शाई गई धनराशियों में भिन्नता।

कोषागार/उपकोषागार के मासिक लेखों में दर्शाई गई धनराशियों एवं वी0डी0एम0एस0 की धनराशियों में भिन्नता।

आर0बी0आई0 द्वारा किए जा रहे कोषागारो से संबंधित मासिक लेन देन के विवरण एवं कोषागारो द्वारा प्राप्त आर0बी0आई0 के वी0डी0एम0एस0 में दर्शाई गई धनराशियों में भिन्नता।

वर्ष 2016–17 के दौरान उक्त तीनों प्रकरणों में विसंगतियों की कुल संख्या 381 के सापेक्ष धनराशि रू 17708177634.69 थी जिसमें से वर्ष 2016–17 के दौरान 181 विसंगतियों के सापेक्ष धनराशि रू 6924463372.68 का निस्तारण हो चुका है तथा 200 विसंगतियों के सापेक्ष धनराशि रू 10783714262.01 अवशेष है।

2.9 ₹ 219.56 करोड के अव्ययित (unspent) पी0एल0ए0 राशि का शासकीय खातों में अभ्यर्पण नही करना

वैयक्तिक लेखों खातों से सम्बन्धित नियमावली के अनुसार सरकारी विभागों के वैयक्तिक लेखे खातें मुख्य लेखा शीर्षक–8443 सिविल जमा के अधीन लघु शीर्षक–106 निजी जमा के अन्तर्गत खोले जाते हैं। तथा वित्तीय वर्ष के अन्त

तक उक्त खातों में बची अवशेष राशि को शासकीय खातों में अभ्यर्पण कराना आवश्यक हैं। अतः उक्त नियम को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न सरकारी विभागों के पी0एल0ए0 धारकों से यह अपेक्षित है कि वित्तीय वर्ष के अन्त में (31 मार्च) अवशेष/अव्ययित राशि का शासकीय खातों में अभ्यर्पण सुनिश्चित करायें। लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न पी0एल0ए0 धारकों द्वारा उक्त नियम का पालन नही करतें हुए विभागी पी0एल0ए0 खातों में वित्तीय वर्ष के अन्त में अव्ययित /अवशेष राशि को शासकीय खातों में अभ्यर्पण नही कराया गया हैं।

(परिशिष्ट-07)

"भाग-3 : कोषागारों के निरीक्षण में पायी गई कमियाँ"

3.0 निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियां एवं अन्य वित्तीय अनियमिततायें

3.1 भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्त) अधिनियम 1971 के भाग–18 के तहत महालेखाकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में समस्त कोषागारों/ उपकोषागारों का निरीक्षण लेखा परीक्षण नियमावली के अनुसार किया जाता है।

निरीक्षण दलों द्वारा वर्ष 2016-17 में 21 कोषागारों 30 उपकोषागारों का निरीक्षण किया गया। कोषागार निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कोषागारों/उप–कोषागारों की कार्यप्रणाली में नियमों/ प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन सुनिश्चित कराना है। वर्ष 2016-17 में निरीक्षण किये गये कोषागारों का विवरण **(परिशिष्ट-08)** में दर्शाया गया है।

अनुशंसाः– निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित कमियों/विसंगतियों के सन्दर्भ में कोषागार पदाधिकारी द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य किया जाए एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण शीघ्र कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। इसके लिए कोषागार में निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के समय पर निराकरण हेतु एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत आपत्तियों का निराकरण किया जा सके।

(क) वर्ष 2016-17 में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की स्थिति निम्नानुसार हैः

	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या
प्रारम्भिक शेष 2016-17	**106**	**543**
वर्ष के दौरान निरीक्षण	51	416
वर्ष के दौरान निस्तारण	36	414
वर्ष के अन्त में शेष	**121**	**545**

(ख) निरीक्षण/प्रतिवेदन में लम्बित प्रस्तरों का तीन वर्षों का विवरणः–

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या
2014-15	25	96
2015-16	47	404
2016-17	49	45
योग	**121**	**545**

3.2 लम्बित प्रस्तरों के निस्तारण हेतु माह अगस्त 2016 में निदेशक कोषागार उत्तराखण्ड द्वारा विचार विमर्श आयोजित किये गये जिसमें निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, सम्बन्धित कोषाधिकारियों/ उपकोषाधिकारियों तथा इस कार्यालय के अधिकारियों ने उपमहालेखाकार (लेखा) की अध्यक्षता में भाग लिया जिसके फलस्वरूप जिला देहरादून, मसूरी, ऋशिकेश, त्युनि, चकराता, हरिद्वार, उपकोषागार हरिद्वार, लक्सर, रूड़की, पी.ए.ओ., रूद्रप्रयाग, अगस्तमुनी, जखोली, उखीमठ में स्थापित कोषागारों एवं उपकोषागारों से सम्बन्धित लम्बित 14 निरीक्षण आख्यायें एवं 90 प्रस्तरों एवं 29 नमूना/सम्पूरक नमूना जांच टिप्पणियों का निस्तारण किया गया।

(परिशिष्ट-09)

3.3 लेखों से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनिमितताएँ

3.3.1 नई पेंशन योजना (NPS-2005) के अर्न्तगत Employers contribution के रूप में जमा किये गये अंशदान के गलत लेखा शीर्ष से debit करने के सम्बन्ध में ।

दिनांक 01-01-2005 के पश्चात् राज्य सेवा में कार्यरत/सेवारत कर्मचारियों के NPS के अर्न्तगत कटौतियों Defined contribution scheme के अनुसार सुनिश्चित कराना निर्धारित हैं। इस योजना के अनुसार कर्मचारियों से 10% वेतन + DA के बराबर की राशि एवं इसी राशि के बराबर Matching राशि के रूप में employers के contribution सहित सम्पूर्ण राशि को प्राधिकृत निधि मैनेजर (Designate Fund Manager) को NSDL के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि कर्मचारियों के अशंदान एवं Employers के Matching Amount का पुस्तांकन लेखा शीर्षक 2071-117 के अर्न्तगत किया जाये। निरीक्षण में पाया गया कि राज्य के कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नही करते हुए NPS की समर्पूण राशि का लेखांकन कर्मचारी के सुसंगित लेखाशीर्ष (Service/Functional Major Head) के अर्न्तगत वेतन मद में आवटित बजट राशि के Gross amount से घटाया जाता है, जबकि नियमानुसार कर्मचारी के NPS अंशदान की मासिक कटौती सम्बन्धित विभाग के सुसंगित लेखा शीर्ष तथा employers के Matching राशि की कटौती लेखाशीर्ष 2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ में होनी चाहिए।

3.3.2 वर्ष 2014-15 की TR-24 से आहरित राशि ₹11,95,21,645/- का समायोजन न किया जाना।

वित्तीय नियमावलीनुसार TR-24 एवं TR-27 के अन्तर्गत, सभी कोषागारों/उपकोषागारों से सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों (DDOs) द्वारा आहरित की गयी धनराशि का समायोजन समान वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए परन्तु वर्ष 2016–17 के कोषागार निरीक्षण के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि विभिन्न DDOs द्वारा अनियन्त्रित ढंग से TR-24 एवं TR-27 के अन्तर्गत धनराशि आहरित की गयी जिसका समायोजन निरीक्षण दिनांक तक नही किया गया। सम्बन्धित प्रकरणों का विवरण निम्नवत् हैं।

TR-24/TR-27

क्रम सं0	कोषागार	धनराशि	वर्ष/माह	विभाग
1	मुख्य कोषागार सदर उत्तरकाशी	2 करोड़	2014	जिलाधिकारी उत्तकाशी सदर कोषागार
2	चमोली (गोपेश्वर)	62728100/–	2014	कोषागार चमोली
3	राजगढ़ी (बड़कोट)	36793545/–	–	उपकोषागार बड़कोट
		119521645/–		

3.3.3 नकद साख सीमा (सी.सी.एल.) वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष नकद साख सीमा (सी.सी.एल.) धनराशि रूपये 82.94 लाख को अगले वित्तीय वर्ष के लिए व्यवर्तित करना।

नियमानुसार साख सीमा में सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष सी.सी.एल. राशि स्वतः Laps हो जाती है अतः किसी भी परिस्थिति में अवशेष साख सीमा राशि को अगले वित्तीय वर्ष के लिए व्यवर्तित नहीं किया जा सकता। कोषगार निरीक्षण में उपकोषागार जोशीमठ द्वारा उक्त नियम के उलंघन का प्रकरण प्रकाश में आया है। उपकोषागारों द्वारा दिनांक 30.03.2016 एवं दिनांक 31.03.2016 को क्रमशः रू 3579000/– एवं 4718645/– का भुगतान चैक द्वारा किया गया है तथा इस प्रकार से किए गये भुगतान केवल धनराशि को अगले वित्तीय वर्ष में व्यवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाता है। सम्पूर्ण विवरण हेतु कोषागार निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या टी.एम./टी.आई./2017–18/34 दिनांक 30.03.2017 का सन्दर्भ लिया जा सकता है।

3.3.4 कोषागारों द्वारा बैंकों को साख सीमा एवं जमा साख सीमा का विलम्ब से सूचित करना।

सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 के समय से निर्गत न होने से कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य किये जाने में अवरोध उत्पन्न होता है जिससे विकास कार्यो को समय से पूर्ण कराने में बाधा उत्पन्न होती है। इस लिए नकद साख सीमा (C.C.L.)/जमा साख सीमा (D.C.L.) के निर्गत करने की वास्तविक सूचना सम्बन्धित बैंक शाखा को एवं विभागों अथवा खण्डों को तत्काल प्रेषित करना अनिवार्य है। कोषागारों के निरीक्षण से संज्ञान में आया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 की बैंक शाखाओं को वास्तविक सूचना विलम्ब से प्रेषित की गई। विलम्ब की अवधी 5 से 90 दिन तक पायी गई है।

(परिशिष्ट–10)

3.3.5 पी0एल0 खातो से ₹ 15.59 करोड़ की अनियन्त्रित धन की निकासी।

व्यक्तिक लेखा खातों के खोलने की सुविधा/सृजन का उद्देश्य/ प्रयोजन आहरण–वितरण अधिकारी को सरकारी समयबद्ध योजनाओं के कार्यान्व्यन हेतु अधिक लचीलापन प्रदान करना है। इसी प्रकार व्यक्तिक खातों का वास्तविक उद्देश्य विभागीय अध्यक्षों को सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में गति प्रदान करना है।

उक्त प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिक लेखा खातों से आहरण केवल तत्काल आवश्यकता में तथा निर्धारित कार्यो के निष्पादन के लिए बिल के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रकार कोषागार स्तर पर पी0एल0 खातों में जमा धनराशि को आहरित करते समय अत्यन्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। परन्तु कोषागार निरीक्षण के मध्य प्रायः संज्ञान में आया है कि इन खातों की सुविधा के प्रयोजन का उल्लंघन हो रहा है जिसके कारण इन खातों का काफी दुरूपयोग हुआ है। निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया की कोषागार स्तर पर पी0एल0ए0 धारकों द्वारा **सेल्फ ड्रान चैक** के आधार पर खातों से धन निकासी पर कड़ी निगरानी नहीं रखी जा रही है। पी0एल0ए0 धारकों द्वारा **सेल्फ ड्रान चैक** के आधार पर आहरित धनराशि अनावश्यक रूप से बैंक में जमा की जाती है तथा इस स्थिति में शासकीय राशियों के दुरूपयोग होने की प्रबल सम्भावनायें होती है। वर्ष के दौरान विभिन्न व्यक्तिगत खाता धारकों द्वारा **सेल्फ ड्रान चैक** के आधार पर धनराशि **₹ 15,59,48,863/-** का आहरण किया गया जिससे कोषागार के स्तर पर अत्यन्त निगरानी का अभाव सिद्ध होता है। राज्य की अर्थव्यस्था सुदढ़ बनाये रखने हेतु कोषागार के स्तर पर व्यक्तिक खातों से **सेल्फ ड्रान चैक** के आधार पर अनियंत्रित निकासी पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है।

(परिशिष्ट –11)

3.3.6 CTS प्रणाली के सॉफ्टवेयर में कमी के कारण PLA खातों में ऋणात्मक अवशेष प्रदर्शित होना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर 340 (बी) 11(2) के निर्देशों के अनुसार पी0एल0ए0 खातों का रख–रखाव व संचालन कोषाधिकारी द्वारा वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए किया जाएगा, तथा किसी भी परिस्थिति में पी0एल0ए0 खातों में अंतिम अवशेष ऋणात्मक नही होना चाहिए। ऋणात्मक अवशेष का उपलब्ध होना पी0एल0ए0 खाते से अनियमित भुगतान/निकासी की पुष्टि करता है, कोषागार निरीक्षण में देहरादून कोषागार में विभिन्न पी0एल0ए0 धारकों के मासिक खातों में ऋणात्मक धनराशि का प्रकरण प्रकाश में आया है।

इंगित किए जाने पर ऋणात्मक धनराशि का कारण Input-9 में सॉफ्टवेयर की कमी का होना बताया गया हैं।

(परिशिष्ट –12)

3.3.7 उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागार का निर्धारित निरीक्षण न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के नियम 469(ख) के अनुसार निदेशक, कोषागार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोषागार/लेखा निदेशालय के किसी अधिकारी द्वारा प्रत्येक कोषागार का निरीक्षण वित्तीय वर्ष में दो बार किया जाना चाहिए। इनमें से एक निरीक्षण विस्तृत होना चाहिए जो कोषाधिकारी को सूचना देकर किया जाना चाहिए। दूसरा निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस पर आंकस्मिक रूप से किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के परिशिष्ट 21 के अनुसार हर वर्ष में जिला कोषागार का निरीक्षण एक बार प्रभाग के आयुक्त और जिलाधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। वर्ष के दौरान कोषागारों के निरीक्षण में पाया गया कि अधिकतम कोषागारों/उपकोषागारों का उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त नियमों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया।

(परिशिष्ट -13)

3.3.8 कोषागारों/उपकोषागारों में कालातीत सामान्य भविष्य निधि के प्राधिकार पत्रों का निस्तारण न किया जाना।

कार्यालय महालेखाकार द्वारा निर्गत सामान्य भविष्य निधि भुगतान प्राधिकार पत्रों पर नियमानुसार 6 महीने की समय अवधि में भुगतान सुनिश्चित करना निर्धारित है। यदि किसी कारणवश निर्धारित समयावधि में भुगतान सम्भव नहीं हो पाता तथा प्राधिकार पत्र कालातीत हो जाते है तो ऐसी स्थिति में सभी कालातीत प्राधिकार पत्रों को कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, देहरादून को अभुगतान प्रमाण पत्र के साथ पुर्नभुगतान हेतु वापस किये जाने चाहिए, परन्तु विभिन्न कोषागारों/उपकोषागारों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि परिशिष्ट 14 में दर्शाये गए प्रकरणों में कोषागार द्वारा कालातीत हुए प्राधिकार पत्रों को महालेखाकार का वापस नही किया गया।

(परिशिष्ट–14)

3.3.9 नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत पेंशनरस/ कर्मचारियों के वेतन से अंशदान एवं सरकारी अंशदान की कटौती न किया जाना।

नई पेंशन स्कीम के प्राविधानों के अनुसार कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने के अगले माह से उनके (वेतन + ग्रेडपे + डी0ए0) का 10 प्रतिशत कटौती करके उतनी ही राशि सरकारी अंशदान के रूप में कर्मचारी की नई पेंशन स्कीम के खाते में जमा की जानी चाहिये।

एकीकृत वेतन एवं लेखा कार्यालय प्रणाली (I.P.A.O) के अनुसार कोषागार द्वारा सभी विभागों के वेतन बिलों का आहरण किया जा रहा है। अतः कोषागार का यह दायित्व है कि नव नियुक्ति सभी कर्मचारियों से प्रथम वेतन आहरण के समय ही नयी पेंशन स्कीम के आवेदन प्राप्त करके '' खाता संख्या'' का आंवटन करायें। परन्तु निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा इस दायित्व को नहीं निभाया जा रहा है।

इसी प्रकार नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों/अधिकारियों के शासकीय सेवा में आने के 01 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् एन0पी0एस0 से अंशदान की कटौती का किया जाना अनिवार्य है परन्तु उपकोषागार के वेतन बिल के निरीक्षण में पाया गया है कि कर्मचारियों के वेतन से एन0पी0एस0 नहीं काटा जा रहा है।

(परिशिष्ट -15)

3.3.10 57,50,576/– धनराषि का दोहरा भुगतान

कोषागार ऑनलाइन भुगतान एवं लेंखाकन प्रक्रिय एवं पद्वति की जांच में रू 57,50,576/– के दोहरे भुगतान के प्रकरण संज्ञान में आये हैं

उल्लेखनीय है कि कोषागार स्तर पर दोहरे भुगतानों को जांचने की कोई प्रक्रिया/विकसित नही है। यह जानकारी खाता धारक की स्वीकारोक्ति पर निर्भर है। यदि खाता धारक अथवा आहरण वितरण अधिकारी दोहरे भुगतान को स्वीकार नही करें तो कोषागार लेखांकन पद्वति (System) दोहरे भुगतान को बताने में असमर्थ है। दोहरे भुगतान को रोकने के कोई अवरोधक नही है, यदि कोषागार ऑनलाइन भुगतान प्रणाली में Cross Checking की व्यवस्था होती तो भी दोहरे भुगतान को रोका जा सकता था। कोषागार द्वारा इसका कारण तकनीकी कारणों को बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि System दोषपूर्ण हैं। दोहरे भुगतान का विवरण निम्नवत हैं।

क0सं0	कोषागार का नाम	दोहरे भुगतान की राशि	कोषागार निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 एवं दिनांक
1.	राजगढ़ी (बडकोट)	1,68,406/–	T.M/T.R/2016-17/06, 30.08.2016
2.	उत्तरकाशी (सदर)	55,82,170/–	T.M/T.I/2016-17/09, 01.09.2016
योग		57,50,576/–	

3.3.11 उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त शैक्षिक सत्र के अन्त तक संत्राश लाभ की अवधि में सेवानिवृत्ति लाभों को गणना में शामिल किए जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 329/XXIV-2/10-9 (11)/2008 दिनांक 08.04.2011 संख्या 848/XXIV-2/11-9(11)/2008 दिनांक 28.09.2011 एवं शासनादेश संख्याः 376/XXIV-2/12/2011 दिनांक 06.06.2012 द्वारा शैक्षिणिक सत्र के दौरान सेवानिवृत्ति होने वाले अध्यापकों को शैक्षिणिक सत्र के अंतिम कार्य दिवस (31 मार्च) को किए जाने हेतु संत्राश लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है तथा इसके आधार पर विभिन्न सेवानिवृत्ति लाभ जैसे कि पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण एवं अवकाश नकदीकरण का भुगतान सम्बन्धित डी0डी0औ एवं सी0सी0 ओ0 द्वारा किया जा रहा है। परन्तु उक्त शासनादेशों से शेक्षणिक सत्र की अवधि में वेतन वृद्वि एवं संत्राश पर सेवानिवृत्त हाने पर सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवानिवृत्ति लाभों (पेंशन, उपादान, राशिकरण एवं अवकाश नकदीकरण) के निस्तारण की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख नही है। सेवाकाल का विस्तार शैक्षिक सत्र के दौरान अध्यापन कार्य से व्यवधान को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है परन्तु ऐसे विस्तारित सेवाकाल को संत्राश लाभ के अधीन सेवानिवृत्त लाभों का वितरण करके सेवानिवृत्ति के मूल उद्वेश्यों का उल्लघंन हो रहा हैं। उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय द्वारा किये जाने वाले कोषागारों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि पेंशन, ग्रेच्युटी एवं राशिकरण जैसे सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में संत्राश लाभ को सेवाकाल में जोड़ा जा रहा है जो कि पेंशन सम्बन्धी नियमों का घोर उल्लंघन है। इसलिए सेवानिवृत्ति तिथि के पश्चात् संत्राश लाभ की सेवा अवधि को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल करने के फलस्वरूप पेंशन ग्रेच्युटी एवं राशिकरण का अधिक भुगतान पेंशन नियमों के विरूद्व है। इस पर तत्काल सम्बन्धित पक्षों/विभागों को दिशा–निर्देश जारी किया जाए ताकि राजकोषीय वित्त का दुरूपयोग पर रोक लगायी जा सकें।

जिसका विवरण/उदाहरण निम्नवत् है।

कम सं0	कोषागार	पेंशनर का नाम	मूल वेतन (संत्राश पर)
1.	निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी	श्री रमेश प्रसाद सेमवाल	रू 28,560/–
2.	निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी	श्री प्रधुम्न पुरी गोस्वामी	रू 28,560/–
3.	निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी	श्री दिगम्बर सिंह भण्डारी	रू 23,590/–
4.	निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी	श्री कुंवर सिंह आर्य	रू 31,330/–
5.	निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी	श्री विजय कुमार लखेरा	रू 28,550/–
6.	निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी	श्री चित्र सिंह रावत	रू 28,560/–

यह प्रकरण पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य के सचिव, वित के अर्द्वषासकीय पत्र संख्या टी0एम0/टी0आई0/2015–16/517 दिनांक 04.08.2015 के माध्यम से संज्ञान में लाया जा चुका हैं।

3.4 पेंशन भुगतान से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनिमितताएँ

3.4.1 पेंशनरों को सेवानिवृत्त लाभों के कम या अधिक भुगतान

सेवानिवृत्त लाभों की गणना एवं भुगतान सामान्यतः निर्धारित पेंशन नियमों के अधीन सुनिश्चित कराना, पेंशन भुगतान आदेश जारीकर्ता एवं सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है तथा सेवानिवृत्त लाभों के अधिक एवं कम भुगतान की सम्भावनाओं को दूर कराना सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है। इस सम्बन्ध में कोषागार द्वारा समस्त सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित नियमों एवं इस विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार भुगतान करना अपेक्षित है।

निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा सेवानिवृत्त लाभों–पेंशन, उपादान एवं राशिकरण का भुगतान करते समय निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों का पालन नहीं किया गया जिसके कारणवश सेवानिवृत्त लाभों का कई प्रकरणों में अधिक भुगतान किया गया था और कई प्रकरणों में कम भुगतान किया गया था। परिशिष्ट 20 में दर्शाये गए प्रकरणों में पेंशन, उपादान एवं राशिकरण के मद में क्रमशः ₹ 8,24,906/- एवं ₹ 1,23,25,252/- का अधिक या कम भुगतान किया गया।

(परिशिष्ट –16)

3.4.2 सैनिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों को बैंक/डी0पी0डी0ओ0 को हस्तान्तरित नही करना।

निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून ने अपने पत्रांक 991/22(5)11/सैन्य पेंशन पत्राचार/नि0को0वि0से0/2013, दिनांक 16 सितम्बर, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त कोषाधिकारियों/उपकोषाधिकारियों को प्रधान लेखा निदेशक (पेंशन) इलाहाबाद के पत्र संख्या AT/Tech/269/Vol VI/PCDA(P) Allahabad दिनांक 06.09.2013 का संदर्भ देते हुए उत्तराखण्ड राज्य के कोषागारों/उपकोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी रक्षा पेंशनरों के मूल–अभिलेखों को DPDO देहरादून को हस्तगत करने को कहा था ताकि भविष्य में रक्षा पेंशनरों को उक्त कार्यालय से पेंशन का भुगतान किया जा सकें तथा समय–समय पर रक्षा पेंशनरों को समान रूप से लाभ मिल सकें।

वर्ष के दौरान कोषागारों के निरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न कोषागारों/ उपकोषागारों द्वारा **1419** सैनिक पेंशनरों के प्रकरण डी0पी0डी0ओ0 अथवा निर्धारित बैंक शाखा में हस्तान्तरित करना अभी भी अपेक्षित था।

(परिशिष्ट –17)

3.4.3 अन्य राज्यों के पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते का भुगतान न करना या कम दर से भुगतान करना।

अन्य राज्यों से सम्बन्धित पेंशनरों को सम्बन्धित राज्यों द्वारा एक निर्धारित दर से प्रत्येक माह चिकित्सा भत्ता राशि का भुगतान करने की व्यवस्था निर्धारित है जिसके आधार पर राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले अन्य राज्यों के पेंशनरों को मासिक चिकित्सा भत्ता राशि का भुगतान करना कोषागार का दायित्व है। निरीक्षण में यह पाया गया कि कोषागारों द्वारा सबंधित निर्देशों/शासनादेशों का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण इन पेंशनरों को मासिक चिकित्सा भत्ते के लाभ से वंचित रहना पड रहा हैं। कोषागारों द्वारा या तो चिकित्सा भत्ते का भुगतान ही नहीं किया जा रहा है और यदि किया भी जा रहा है तो वो निर्धारित दर से कम किया जा रहा है।

(परिशिष्ट –18)

3.4.4 शासकीय कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश के अनुरूप् 10 वर्ष तक पारिवारिक पेंशन अनुमन्य न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0अ0सा0नि0) अनुभाग-7 संख्या-419/ XXVII(7)/2008 देहरादून दिनांक 27 अक्टूबर 2008 के कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर 8(1) के अनुसार दिवंगत हुए सरकारी सेवक के प्रकरण में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष अनुमन्य होगी। उक्त व्यवस्था शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से लागू होगी। कोषागारों के निरीक्षण में यह पाया गया कि कोषागारों द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन नही किया गया हैं। तथा बड़ी दर पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नही की हैं।

(परिशिष्ट –19)

3.4.5 छठे वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन निर्धारण न करने से पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को लाभ से वंचित रखना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित तिथि से समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को छठे वेतनमान द्वारा अनुमानित पेंशन का निर्धारण करना अनिवार्य था तथा उक्त नियम को दृष्टिगत रखते हुए कोषागारों से अपेक्षित था कि निर्धारित तिथि से समस्त पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों का पेंशन भुगतान नए पेंशन दर से भुगतान करें। परन्तु विभिन्न कोषागारों द्वारा

पेंशनरों के प्रकरणों में छठे वेतन आयोग के आधार पर पेंशन राशि का निर्धारण नहीं किया गया जिसके कारणवश सम्बन्धित पेंशनरों को छठे वेतन आयोग की पेंशन वृद्वि से वंचित होना पड़ा।

(परिशिष्ट –20)

3.4.6 स्त्रोत पर आयकर की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1088/XXVII(3)पे/2004 दिनांक 26.08.2004 के प्रस्तर-3 के अनुसार कोषागार, सम्बन्धित पेंशनरों के स्त्रोत पर आयकर की कटौती करके प्रपत्र 16-ए (आयकर) को बैंक के माध्यम से पेंशनर को उपलब्ध कराने का प्रावधान है परन्तु अधिकांश कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। कोषागार के स्तर से न तो स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जाती है और न ही पेंशनरों से आयकर स्वतः जमा कराने के सापेक्ष कोई प्रमाण पत्र लिया जाता है। वर्ष 2016-17 में निरीक्षण दलों द्वारा जांचे गए प्रकरणों में आयकर के रूप में धनराशि **₹ 33,81,956/-** की कटौती नहीं किए जाने के तथ्य संज्ञान में आए थे।

(परिशिष्ट-21)